कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉ तल उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2021/मेमो0 लखनऊः दिनांक 21 अक्टूबर 2021

यू0पी0 नीट पी0जी0–2021 (एम0डी0एस0) की द्वितीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना/दिशा निर्देश

- द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चक्र कांउसिलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हे पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नही है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन तो करा लिया गया परन्तु किन्ही कारणों से रजिस्ट्रेशन शुल्क/धरोहर धनराशि नही जमा कर सके है, वह निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क/धरोहर धनराशि जमा कर कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग कर सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की कंाउसिंलिंग में रजिस्ट्रेशन नही करा सके है, वे अभ्यर्भी रू0 3000/– पंजीकरण शुल्क जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से आवंटन प्राप्त हो गया था, परन्तु प्रवेश नही लिया गया है, वे पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा कर द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।
- सिक्योरिटी धनराशि के रूप में राजकीय क्षेत्र के डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु रू0 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों की सीटों हेतु रू0 1,00,000/–(रूपये एक लाख मात्र) **नेट बैंकिग, केडिट कार्ड व एन0ई0एफ0टी0** (NEFT) के माध्यम से आन–लाईन भुगतान **(रजिस्ट्रेशन के उपरान्त)** करते हुये काउंसिलिग प्रक्रिया में **बैंक द्वारा एम0आई0एस0/भुगतान की पुष्टि होने के उपरान्त ही विकल्प भर (Choice Filling) सकते** है।
- प्रथम चक्र की कांउसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोडकर नये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में आवंटित डेण्टल कालेज में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रथम चक्र की कांउसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से पुनरावंटन हुआ है, उनको पूर्व के डेण्टल कालेज से प्रवेश से संबंधित समस्त प्रमाण तथा शिक्षण शुल्क की रसीद के साथ नवीन आवंटित डेण्टल कालेज पर प्रस्तुत कर प्रवेश प्रकिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से पुनरावंटित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय संबंधित डेण्टल कालेज में शिक्षण शुल्क की अन्तर की धनराशि (यदि शिक्षण शुल्क अधिक है) का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो **DIRECTOR GENERAL, MEDICAL EDUCATION & TRAINING, U.P. PAYABLE AT LUCKNOW** के नाम देय हो जमा किया जायेगा तथा यदि डेण्टल कालेज का शिक्षण शुल्क कम है, तो उस स्थिति मे अन्तर की धनराशि कालेज की सिक्योरिटी/छात्रावास शुल्क मे समायोजित की जायेगी।
- द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र व आवंटित कालेज की शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो **DIRECTOR GENERAL, MEDICAL EDUCATION & TRAINING, U.P. PAYABLE AT LUCKNOW** के नाम देय होगा, आवंटित डेण्टल कालेज में जमा करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् आवंटित डेण्टल कालेज में प्रवेश ले लिया गया है तथा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट अपग्रेड करना चाहते है, ऐसी स्थिति में पूर्व में आवंटित सीट अपग्रेड होने के पश्चात् पूर्व की सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी। **द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से कोई अन्य सीट या प्रथम काउन्सिलिंग से प्रवेशित सीट पुनः आवंटित हो जाने पर अभ्यर्थी को डेण्टल कालेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति मे आवंटन स्वतः निरस्त हो**

जायेगा। पूर्व की आंवटित सीट रिटेन (Retain) नही रहेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं होगी।

- द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में सीटों का आवंटन/उच्चीकरण द्वितीय चक्र की मेरिट के आधार पर होगा, द्वितीय चक्र की मेरिट प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र में पंजीकृत अभ्यर्थियों को सम्मलित कर मेरिट घोषित की जायेगी।
- यदि सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित सीट यथावत् बनी रहेगी।
- अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि जो अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग के उपरान्त कालेज बदलना एवं कोर्स बदलना चाहते है तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से प्रवेशित पाठ्यक्रम को पुनः च्वाईस फिल नही की जानी है, जो पाठ्यक्रम एवं कालेज चाहिये उसी की च्वाईस भरनी (Fill) है।
- **च्वाईस फिलिग के उपरान्त च्वाईस लाक किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की सीट आवंटन प्रकिया में अभ्यर्थी को सम्मिलित नही किया जायेगा।**
- द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की अल्पसंख्यक श्रेणी की सीटें यदि रिक्त रह जाती है तो ऐसी सीटों को सामान्य श्रेणी की ओपन कैटेगरी से आवंटन किया जायेगा।
- ऑल इण्डिया कोटा की समर्पित सीटों को राजकीय क्षेत्र की सीटों में सम्मलित करते हुये द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग करायी जायेगी।
- द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को संबंधित डेण्टल कालेज में उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रकिया पूर्ण करनी होगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है, और अपग्रेड नहीं करना चाहते है उन्हे द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में विकल्प भरने की आवश्यकता नही है।
- ऑल इण्डिया कोटे के प्रथम व द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी स्टेट कोटे की सीटों हेतु द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में अर्ह नही होगें।
- **SAC** के अन्तर्गत दिखायी गयी सीटों की संख्या प्रवेशित छात्रों के सापेक्ष है, यदि किसी प्रवेशित छात्र की सीट अपग्रेड होती है, तो उस रिक्त सीट के सापेक्ष मेरिट कम विकल्प के आधार पर आवंटन किया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थी स्टाईपेन्ड के संबंध में संबंधित कालेज में ही जानकारी प्राप्त करें।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चक्र की कांउसिलिंग में राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने के लिये रू0 30,000/– की सिक्योरिटी धनराशि जमा की थी, किन्तु अब वह निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की सीटों हेतु प्रतिभाग करना चाहते है तो वह धरोहर धनराशि रू0 1,00,000/– जमा करते हुये द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट ***https://upneet.gov.in & www.dgmeup.in*** पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक